बिहार सरकार
उद्योग विभाग,
<u>हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय</u>

पत्रांक– ह0क0सह0– (विविध)– 11/2019/.. पटना, दिनांक– ....
प्रेषक,

निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी महाप्रबंधक,
जिला उद्योग केन्द्र, (भागलपुर एवं गया को छोड़कर)।
उप विकास पदाधिकारी(वस्त्र), भागलपुर/गया।

विषय– धुनिया आर्टिजन विकास समिति का सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 में निबंधन के निमित्त पाँच धुनिया आर्टिजन के मनोनयन हेतु अनुशंसा भेजने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के धुनियों का समग्र विकास करने के उद्देश्य से धुनिया आर्टिजन विकास समिति का सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत निबंधन प्रक्रियाधीन है। इस आशय का संकल्प विभागीय संकल्प सं0–1756 दिनांक– 08.04.2019 द्वारा निर्गत है। उक्त समिति में सरकारी पदाधिकारियों के अतिरिक्त पाँच धुनिया आर्टिजन को सदस्य बनाया जाना है, जिनकी अनुशंसा आपके जिला से अपेक्षित है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि अपने जिला से दो धुनिया पुरूष/महिला आर्टिजन, जो धुनाई उद्योग प्रक्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हों तथा धुनियों को लाभान्वित करने हेतु योजनाओं का सूत्रीकरण, कार्यान्वयन का अनुभव रखते हों, धुनियों की समस्याओं से अवगत हों तथा धुनियों के कल्याण में रूचि रखते हों, का नाम एवं पूर्ण पता सहित अपनी अनुशंसा के साथ निदेशालय को दिनांक– 18.07.2019 तक निश्चितरूपेण उपलब्ध करावें।

विश्वासभाजन

ह0/–

निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– ह0क0सह0– (विविध)– 11/2019/1220 पटना, दिनांक– 11.07.19
प्रतिलिपि–आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

11.07.19

निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना।